उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित)

मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ

वेबसाइटः **hajcommittee.up.gov.in** ; ई–मेल : **hajcommittee.up@gmail.com**

पत्रांकः जी–।।/538/एस.एच.सी/2024 दिनांक : 21/12/2024

–: प्रेस विज्ञप्ति :–

हज कमेटी आफ इण्डिया द्वारा सकुर्लर–20 दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 जारी किया है जोकि हज यात्रियों की सुविधार्थ सऊदी अरब में राज्य हज इंस्पेक्टर जो पूर्व वर्षों में ख़ादिमुल हुज्जाज के नाम से जाना जाता था, के ऑनलाइन आवेदन के सम्बन्ध में है। आवेदन हेतु आवश्यक अर्हताएं/निर्देश निम्नवत हैं :–

1. ऑनलाइन आवेदन हज कमेटी आफ इण्डिया की वेबसाइट https://hajcommittee.gov.in पर किया जायेगा व निर्धारित प्रपत्र अपलोड किये जाएंगे।
2. ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि 04 जनवरी, 2025 है।
3. प्रत्येक 150 हज यात्रियों पर 01 राज्य हज इंस्पेक्टर का चयन होना है।
4. महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं।
5. मशीन पठित पासपोर्ट की वैद्यता 15 जनवरी, 2026 तक होना आवश्यक है।
6. पुरुष/महिला आवेदक जिनकी आयु 04.01.2025 को 50 वर्ष से कम हो अथार्त 04 जनवरी, 1975 को व उसके बाद जन्म हुआ हो।
7. आवेदक को हज या उमराह किया होना आवश्यक है। खादिमुल हुज्जाज के रुप में जिनकी गत चार वर्षों में सेवाएं अच्छी रही होंगी उनमें से 20 प्रतिशत आवेदकों का चयन किया जाएगा।
8. आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक डिग्री होना आवश्यक है।
9. आवेदक केन्द्र/राज्य सरकार, सरकार के अधीन पब्लिक सेक्टर अण्डटरेकिंग/संवैधानिक संस्था व पैरा मिलिट्री फोर्स के होना आवश्यक है। अस्थायी, अंशकालिक, सीज़नल, आउटसोर्स, संविदा, तदर्थ कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकेंगे। वरिष्ठ अधिकारी जैसे केन्द्र व राज्य सरकार में क्लास–ए या समकक्ष अधिकारी आवेदन नहीं कर सकेंगे।
10. राज्य हज समिति एवं स्टेट वक्फ बोर्ड से कुल कोटे के 15 प्रतिशत से अधिक स्थायी कर्मचारी नामित नहीं किये जाएंगे।
11. नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. आवेदक को इण्टरनेट व स्मार्ट फोन के उपयोग से अभ्यस्त होना आवश्यक है।
13. आवेदक को सऊदी अरब की गाइडलाइंस के अनूसार सभी आवश्यक वैक्सीन की डोज़ प्राप्त होना आवश्यक है।
14. आवेदकों को हज यात्रियों की बोल–चाल की भाषा से भिज्ञ होना आवश्यक है, अरबी भाषा के जानकार को वरीयता मिलेगी।
15. आवदेक का शारीरिक रुप से स्वस्थ होना आवश्यक है जिसके लिए सरकारी चिकित्सालय से स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
16. चयनित राज्य हज इंस्पेक्टर को हज कमेटी आफ इण्डिया द्वारा आयोजित हज प्रशिक्षण प्राप्त होना आवश्यक है।
17. राज्य हज इंस्पेक्टर के साथ उनके परिवार का कोई सदस्य हज पर जाने हेतु पात्र नहीं होगा।
18. कोई राज्य हज इंस्पेक्टर हज यात्रियों से किसी प्रकार का वित्तीय प्रतिफल नहीं प्राप्त करेगा। उन्हें समस्त सेवांए निःशुल्क देनी होंगी।
19. अर्ह आवेदकों का चयन कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा उपरान्त साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।
20. केवल सक्षम व समर्पित आवेदकों को आवेदन करने का सुझाव है। जो राज्य हज इंस्पेक्टर अपने दायित्वों का निर्वाहन ठीक प्रकार नही कर पायेंगे उनकी तैनाती निरस्त करते हुए उन्हें वापस भेज दिया जायेगा और उनके प्रति अनुसासनात्मक कार्यवाही प्रचलित की जायेगी। जिनके प्रति कॉसल जनरल आफ इण्डिया से प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होगी उनको ब्लेकलिस्ट करते हुए भविष्य में आवेदन पर रोक रहेगी।
21. इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि आवेदन से पूर्व कृपया सकुर्लर का ठीक प्रकार से अध्ययन कर लें।

(एस.पी.तिवारी)
सचिव/कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ0प्र0।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज।
3. मा0 अध्यक्ष/सदस्यगण, उ0प्र0 राज्य हज समिति, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, उ0प्र0 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. समस्त ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त ई–सुविधा केन्द्र, समस्त प्रशिक्षक, उ0प्र0।
8. ज़िला सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 ।

(एस.पी.तिवारी)
सचिव/कार्यपालक अधिकारी